

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT <i>[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]</i> FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S SARE FACILITY (GURGAON) SERVICES PRIVATE LIMITED	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	SARE FACILITY (GURGAON) SERVICES PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	15.09.2010
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U93030DL2010PTC208273
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	6, 383 C, Bank Street, Munirka New Delhi 110067 (India)
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	17.05.2021
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	13.11.2021
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Bikram Singh Gusain, IBBI/PA-002/IP-N00011/2016-17/10015
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	B-1/105, Sunrise Apartments, Dr. K N Katju Marg, Sector 13, Rohini, Delhi 110085 E-mail- bikramgusain@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Bikram Singh Gusain C/o Yogakshem Insolvency Professionals LLP UGF 1/15, (Near PNB), Tilak Nagar, New Delhi- 110018 cirpsarefacility@yahoo.com
11. Last date for submission of claims	02.06.2021
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional \ Name	Not Applicable
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14. (a) Relevant Forms are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Sare Facility (Gurgaon) Services Private Limited on 17.05.2021.

The creditors of M/s Sare Facility (Gurgaon) Services Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02.06.2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class Not applicable in Form CA.

The claims may be submitted in their specific Forms B, C, CA, D, E and F in terms of Regulation 7, 8, 8A, 9 and 9A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution process for Corporate Persons) Regulations, 2016. Form B by Operational Creditors (except Workmen and Employees), Form C by Financial Creditors, Form CA by Financial Creditors belonging to a class, Form D by a Workman or an Employee, Form E by Authorized Representatives of workmen and Employees and Form F by other Creditors. The claim forms can be down loaded from IBBI website: <https://ibbi.gov.in/home/downloads>

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 21.05.2021
Place: New Delhi

Name and Signature of Interim Resolution Professional:
Bikram Singh Gusain



प्रपत्र के सार्वजनिक घोषणा [भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अर्बिन] सारे फैसिलिटी (गुडगांव) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ	
सुसंगत विशिष्टियाँ	
1. कार्पोरेट लेनदार का नाम	सारे फैसिलिटी (गुडगांव) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट लेनदार के निगमन की तिथि	15.09.2010
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट लेनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4. कार्पोरेट लेनदार को कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U93030DL2010PTC208273
5. कार्पोरेट लेनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	6, 383सी, बैंक स्ट्रीट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 (इंडिया)
6. कार्पोरेट लेनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	17.05.2021
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13.11.2021
8. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	विक्रम सिंह गुसाई, IBBI/IPA-002/IP-N-00011/2016-17/10015
9. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	ब्लॉक-1/105, सनराइज अपार्टमेंट्स, डॉ. के.एन. काटजू मार्ग, सेक्टर-13, रोहणी, दिल्ली-110085 ई-मेल : bikramgusain@gmail.com
10. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	विक्रम सिंह गुसाई C/o योगेश्वर इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, यूनीट 1/15 (निकट पीएनबी), तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 cirpsarefacility@yahoo.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	02.06.2021
12. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के कर्त्तव्य (ख) के तहत अधिनियमित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14. (क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण ने सारे फैसिलिटी (गुडगांव) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 17.05.2021 को कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

सारे फैसिलिटी (गुडगांव) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 02.06.2021 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

विशेष लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्तवी (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रतिष्ठित से. 12 के सम्मुख सूचीबद्ध के अनुसार किसी वर्ग से सम्बन्धित विशिष्ट लेनदार प्रपत्र सीए में अप्रयोज्य वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित से. 13 के सम्मुख सूचीबद्ध तीन ऋणशोधन अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि चुनित करेगा।

दावे भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया) के विनियम 7, 8, 8ए, 9 एवं 9ए के सन्दर्भ में अपने निर्दिष्ट प्रपत्र बी, सी, सीए, डी, ई तथा एफ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रपत्र बी प्रकृतनात्मक लेनदारों (कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) द्वारा, प्रपत्र सी विशिष्ट लेनदारों द्वारा, प्रपत्र सीए किसी वर्ग से सम्बद्ध विशिष्ट लेनदारों द्वारा, प्रपत्र डी किसी कामगार अथवा कर्मचारी द्वारा, प्रपत्र ई कामगार तथा कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तथा प्रपत्र एफ अन्य लेनदारों द्वारा। दावा प्रपत्र आईबीबीआई की वेबसाइट <https://ibbi.gov.in/home/downloads> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

दावे के फॉर्म अथवा धामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

दिनांक : 21.05.2021

स्थान : नई दिल्ली

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम एवं हस्ताक्षर
विक्रम सिंह गुसाई

